



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032020-218816
CG-DL-E-20032020-218816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1020]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941

No. 1020]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

okf.kT; ,o m |kx e=ky;

%okf.kT; foHkx½

fon'k 0;kikj egkfun'kky;

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

I- 51@2015&2020

fo"k;%& vkbVhIh ¼,p,l½] 2017] vu|ph&I ¼vk;kr uhfr½ d v/;k; 26 vkj 27 d
rgr enk dh vk;kr uhfr e संशोधनA

का.आ. 1128(अ).—समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 26 और 27 के तहत जिक्र ड्रास (एचएस कोड 2620 1920), लाइट नेपथा (एचएस कोड 2710 1221), हेवी नेपथा (एचएस कोड 2710 1222), फुल रेंज नेपथा (एचएस कोड 2710 1229)

और एविएशन गैसोलीन (एचएस कोड 2710 1220) आयात नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन करती है:—

सं. क्र.	वस्तु का नाम	व्यापार उद्यम	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त (5) के अनुसार आयात	व्यापार उद्यम	आयात नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन करती है:—
2620 1910	जिंक ड्रास	प्रतिबंधित		मुक्त	आयात, वास्तविक प्रयोक्ता को अथवा एक कालिक आधार पर एसपीसीबी द्वारा प्राधिकृत वास्तविक प्रयोक्ता की ओर से व्यापारी को अनुमत है और सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम 2016 की अनुसूची VIII में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है।
2710 1221	लाइट नेपथा	राज्य व्यापार उद्यम	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त (5) के अनुसार आयात	मुक्त	
2710 1222	हेवी नेपथा	राज्य व्यापार उद्यम	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त (5) के अनुसार आयात	मुक्त	
2710 1229	फुल रेंज नेपथा	राज्य व्यापार उद्यम	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त (5) के अनुसार आयात	मुक्त	
2710 1250	मानक आईएस 1604 के अनुरूप एविएशन गैसोलीन	राज्य व्यापार उद्यम	अध्याय 27 की नीतिगत शर्त (5) के अनुसार आयात	राज्य व्यापार उद्यम। तथापि, फ्लाईंग क्लबों द्वारा किया गया आयात 'मुक्त' है।	राज्य व्यापार उद्यमों हेतु: आयात अध्याय की नीतिगत शर्त (5) के अनुसार आयात। फ्लाईंग क्लबों हेतु: नीतिगत शर्त (5) लागू नहीं होगी। आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा और वे उद्योग हेतु मदों के सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

3. ब। व। क। प। क। इ। क। जिंक ड्रास, लाइट नेपथा, हेवी नेपथा, फुल रेंज नेपथा और एविएशन गैसोलीन हेतु नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/11/एएम-17/पीसी-2ए/(ई-1722)]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

व। इ। क। दिनांक 17 जनवरी, 2017 की प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015-2020 को दिनांक 17 जनवरी, 2017 की सं. सा.आ. 172(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 01 जनवरी, 2020 की सं. सा.आ. 06(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 01 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 38/2015-2020 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2020

No.51/2015-2020

Subject: Amendment in import policy of items under Chapter 26 and 27 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy)

S.O. 1128(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy and policy conditions for Zinc Dross (HS code 2620 1910), Light Naphtha (HS code 2710 1221), Heavy Naphtha (HS code 2710 1222), Full Range Naphtha (HS code 2710 1229) and Aviation Gasoline (HS code 2710 1250) under Chapter 26 & 27 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).

Exim Code	Item Description	Present Policy	Present Policy Condition	Revised Policy	Revised Policy Condition
2620 1910	Zinc Dross	Restricted		Free	Import is permitted to the actual user or to the trader on behalf of the actual users authorised by SPCB on one time basis and subject to verification of documents by the Custom Authority as specified in Schedule VIII of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016
2710 1221	Light Naphtha	State Trading Enterprises	Import as per Policy Condition (5) of Chapter 27	Free	
2710 1222	Heavy Naphtha	State Trading Enterprises	Import as per Policy Condition (5) of Chapter 27	Free	
2710 1229	Full Range Naphtha	State Trading Enterprises	Import as per Policy Condition (5) of Chapter 27	Free	
2710 1250	Aviation Gasoline conforming to Standard IS 1604	State Trading Enterprises	Import as per Policy Condition (5) of Chapter 27	State Trading Enterprises. However, import by flying clubs is 'Free'.	For STEs: Import as per Policy Condition (5) of the Chapter. For Flying Clubs: Policy Condition (5) will not be applicable. Import would be subject to actual user condition and they will be responsible for 'safety' norms of the item for the industry.

Effect of the Notification: Revision has been carried out in the Policy and Policy conditions for Zinc Dross, Light Naphtha, Heavy Naphtha, Full Range Naphtha and Aviation Gasoline.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No.01/89/180/11/AM-17/PC-2A/[(E-1722)]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017 and amended vide notification No. 38/2015-20 dated 1st January 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 06 (E), dated 1st January 2020.